

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 836

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

### आयुर्वेदिक उत्पादों का नियंता

836. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2023-24 में देश से आयुष और हर्बल उत्पादों के नियंता में केवल 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वृद्धि दर और नियंता राशि सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आयुर्वेदिक उत्पादों की लगभग 20 प्रतिशत खेपों को अस्वीकार कर दिया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने अस्वीकृति दरों को कम करने के लिए भारत के आयुर्वेदिक उत्पाद मानकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए विशेष उपाय किए हैं; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि दर और नियंता राशि के वर्ष-वार व्यौरे संलग्न में दिए गए हैं:

वस्तु	अमेरिकी डॉलर में मूल्य 2021-22	अमेरिकी डॉलर में मूल्य 2022-23	अमेरिकी डॉलर में मूल्य 2023-24
आयुष और हर्बल उत्पाद	612124787	628541727	651172561

(ख) : इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) : अस्वीकृति की दरों को कम करने के लिए, भारत के आयुर्वेदिक उत्पाद मानकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। आयुष मंत्रालय पीसीआईएम एंड एच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के अनुसार, भारत में निर्मित, बेची और स्टॉक की जा रही एएसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों की भेषजसंहिताओं और फार्मूलरियों, जो अनिवार्य विनियामक मानक निर्धारित करती हैं, में शामिल मानकों और गुणवत्ता पैरामीटरों की पहचान, विश्व भर में प्रचलित विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्य प्रमुख भेषजसंहिताओं द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अनुरूप करने के लिए की गई है। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि देश में तथा विदेशों में लोगों तक पहुंचने वाली औषधियां, पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। अब तक, एएसयू एंड एच औषधियों में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों (पादप/पशु/खनिज/धातु/रासायनिक मूल की एकल औषधियां) पर 2259 गुणवत्ता मानक, एएसयू फार्मूलेशनों

के 405 गुणवत्ता मानक और एएसयू औषधियों के 2666 फार्मूलरी विनिर्देश प्रकाशित किए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई) में शामिल 351 एकल औषधियों पर मैक्रो-माइक्रोस्कोपिक और टीएलसी एटलस के रूप में सहायक दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए हैं। पीसीआईएम एंड एच, एएसयू एंड एच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को प्रोत्साहित करता है:-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भेषज उत्पाद प्रमाणन स्कीम (सीओपीपी) का आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी (एएसयू) औषधियों तक विस्तार किया गया है। यह स्कीम केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा प्रशासित है और सीडीएससीओ, आयुष मंत्रालय और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदक विनिर्माण इकाई के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता का तृतीय पक्षकार मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी उत्पादों को आयुष प्रीमियम मार्क प्रदान करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा कार्यान्वित गुणवत्ता प्रमाणन स्कीमें।

\*\*\*\*\*